न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, वाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 29/2019 Gcms No. 2019/00168
दायरा तिथि : 08.05.2019
निर्णय तिथि: 1-10-2021

वादीनी :–
डिम्पल पुत्री गोविन्दलालजी जाति गुरू
निवासी बीजापुर हाल रेवारियो का वास विसलपुर तहसील वाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. शंकरलाल पुत्र शिवलालजी जाति गुरू
2. श्रीमति शकुन्तलाल पत्नि गोविन्दलालजी जाति गुरू
   निवासी बीजापुर तहसील वाली जिला पाली (राजस्थान)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) वाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गणपतलाल चौधरी अभिभाषक वादीनी की ओर से
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. श्री प्रदीप चौधरी ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से
4. नायब तहसीलदार, वाली पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 1-10-2021

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीनी ने ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1515 रकबा 0.67 हैक्टर किस्म नहरी सोयम को पैतक पुश्तैनी भूमि वर्णित करते हुये अपने दादा चुन्नीलाल पुत्र लखाजी गुरू से प्राप्त भूमि में 1/4 हिस्सा की घोषणा खातेदारी, विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा बावत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीनी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2060 स 2063, फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2072 से 2075, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गोपीलाल, वादीनी का आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादीनी डिम्पल स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के पश्चात् प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से वकील श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या–02 शकुन्तला की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीपचौधरी के माध्यम से ईकबालिया जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता को जबावदावा के लिये कोस्ट पर समय अवसर दिये जाने के बावजुद जबावदावा पेश नहीं करने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.08.2021 से प्रतिवादी संख्या–01 का जबावदावा का अवसर बंद किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–03 तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने से इनका जबावदावा का अवसर बंद करते हुये प्रकरण में वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् बहस सुनी गई।

विद्वान् वकील वादीनी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि वादीनी के दादा चुन्नीलाल पुत्र लखाजी कौम गुरू के खातेदारी की होने तथा राजस्व कर्मियो की गलती से दादा के देहांत पश्चात् समय पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने एवं वादीनी के पिता गोविन्दलालजी की वर्ष 1985 में मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 29.11.1991 से वादीनी मौजुद होते हुये वादीनी का नाम अधिकार अभिलेखों में हिस्सा अनुसार दर्ज नहीं किया गया। राजस्व कर्मियो द्वारा त्रुटिपुर्ण कार्यवाही करते हुये मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल, मु0 कन्या बेवा चुन्नीलाल व मु0 शकुन्तला बेवा गाविन्दलाल कौम गुरू के नाम का इन्द्राज कर दिया गया। इसके पश्चात् मोहनलालजी लाऔलाद फौत होने से उनके हिस्से को वादीनी की दादी कन्या बाई व माता शकुन्तला के नाम दर्ज किया गया। जबकि उस हिस्से में भी वादीनी कानूनन हकदार होने एवं पुश्तैनी भूमि में वादीनी का अपने पिता गोविन्दलालजी के घर तारीख 11.11.1984 को जन्म लेते ही हक अधिकार होने से वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये इसी हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील वादीनी द्वारा कानूनी उद्धहरण **RRT 2020(2)** अनवान विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2020 को पारित निर्णय की प्रति पेश की गई। प्रतिवादी संख्या–02 के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी ने भी बहस में जबाव के तथ्यो को दोहराते हुये वाद डिक्री किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार.....

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 29/2019 Gcms No. 2019/00168

अनवान डिम्पल बनाम शंकरलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1515 रकबा 0.6700 हैक्टर किस्म नहरी सोयम वादीनी के दादा चुन्नीलाल पुत्र लखाजी कौम गुरू के खातेदारी की कृषि भूमि थी। उक्त भूमि में वादीनी के दादा चुन्नीलाल व पिता गोविन्दलाल के देहान्त के बाद दाखिल व स्वीकृत नामा0करण संख्या 283 दिनांक 29.11.1991 से वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि वादीनी का अपने पिता गोविन्दलालजी के घर तारीख 11.11.1984 को जन्म लेते ही हक अधिकार निहित हो गया था, तथा पिता गोविन्दलालजी की मृत्यु वादीनी के जन्म के बाद होने से पुश्तैनी भूमि में 1/4 हिस्से की घोषणा की डिक्री के साथ इसी हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री चाही जा रही है। हस्तगत् प्रकरण में यह भी प्रमाणित हैं कि वादीनी की दादी कन्याबाई का 1/2 हिस्सा तारीख 09.09.2004 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के प्रतिवादी संख्या–01 को बेचान किया गया एवं प्रतिवादी संख्या–02 वादीनी की माता द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि का दिनांक 20.09.2004 को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये प्रतिवादी संख्या–01 को बेचान कर दिया हैं। तथा बेचान के आधार पर दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1048 दिनांक 21.12.2004 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या–01 दर्ज हुआ, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में बतौर खातेदार शंकरलाल पुत्र शिवलाल कौम गुरू खातेदार दर्ज हैं। इस प्रकार वादीनी द्वारा उक्त वाद खरिदकर्ता शंकरलाल के विरूद्व प्रस्तुत हैं। विद्वान् अधिवक्ता वादीनी द्वारा बहस में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधानो के अनुसार खातेदारी चाही हैं। इस सबंध में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 06 के सबंध में प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण में वर्णित प्रावधानो का अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार 46. The substituted provision of section 6 by the Amendment Act, 2005 is extracted hereunder:

"6. Devolution of interest in coparcenary property.-

(1) on and from the commencement of the Hindu Succession(Amendment) Act, 2005, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,-

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcencer: **Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.**

चूँकि हस्तगत् प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 20.12.2004 से पुर्व का दिनांक 09.09.2004 व दिनांक 17.09.2004 के है। जिससे वादीनी को धारा 06 के प्रावधानो अनुसार वाद लाने का अधिकार नही रहता है।

उक्त विवेचन से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) (c) में उल्लेखित तिथि दिनांक 20. 12.2004 से पुर्व वाद में वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या–01 के पक्ष में बेचान कर देने से वादीया द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1515 रकबा 0.6700 हैक्टर किस्म नहरी सोयम के 1/4 हिस्सा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 1-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner